Seen
Excl. Spl. Ex. Judge-1

प्रपत्र VII

आ श–पत्र के लिए फार्मेट
(नियम 18 देखें)

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायालय–II, नवादा में, ...

गोविन्द केस नं० 424/22 राज्य बनाम

बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

1. अभियुक्त का नाम – उपेन्द्र चौधरी
2. उम्र 26
3. पिता का नाम – शर्जेन्द्र चौधरी
4. पता सा० - सरकट्टा, थाना - गोविन्दपुर जिला - नवादा
5. गिरफ्तारी की तिथि, समय और थान
6. पुलिस / उत्पाद पदाधिकारी द्वारा जाँच रिपोर्ट समर्पित करने की तिथि

पुलिस / उत्पाद पदाधिकारी द्वारा समर्पित ऊपर उल्लिखित जाँच रिपोर्ट का अवलोकन किया। आज पुलिस / उत्पाद पदाधिकारी द्वारा उक्त अभियुक्त को प्रस्तुत किया गया है। मैं एतद् द्वारा बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–37 के अधीन संज्ञान लेता हूँ।

अभियुक्त के विरूद्ध आरोप है कि उसने दिनांक-- 07/12/22 को अल्कोहल का उपभोग किया था और वह .... (स्थान) से पकड़ा गया। अभियुक्त की चिकित्सीय परीक्षा / श्वसन विश्लेषण करायी गयी जिससे सम्पुष्ट हुआ कि उसने अल्कोहल / शराब का उपभोग कि था।

उपर्युक्त आरोप अभियुक्त व ढ़कर समझाया गया। मैंने उसका बयान दर्ज किया है।

अभियुक्त से पूछा गया कि क्या वह दोषी होने का अभिवचन करता है।

उसने दोषी होने का अभिवचन किया है। मैं प्रथमदृष्ट्या संतुष्ट हूँ कि उसके विरूद्ध आरोप सुआधारित है।

इसलिए अभियुक्त को बिहार मद्य निषेध औंर उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–37 के अधीन 2000/- रूपये की राशि के भुगतान करने या उक्त जुर्माने की राशि के भुगतान में चूक होने पर 30 दिनों के कारावास भोगने का दंडादेश दिया जाता है।

तिथि: 9/12/22
स्थान : नवादा

Exclusive Spl. Excise Court 1st, Nawada

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायालय–II,
नवादा
....